न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– **पंकज कुमार (आर.ए.एस.)**

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 47/2023

प्रार्थी **बनाम** **अप्रार्थी**

मै. ध्रुवा इंजीनियर्स **श्रीमती नैनी देवी के कायममुकामन**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. व 86 एल.आर. एक्ट सपठित आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 व 141 सी.पी.सी.

–::आदेश::–

दिनांकः– 27/12/23

उपस्थितिः–
1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अक्षय दवे।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 में।
3. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री माधवराज चौधरी।

प्रार्थी भवानी सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी सपठित धारा 151 सी पी सी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गांव केरू में खसरा नम्बर 312/2 रकबा 33 बीघा 04 बिस्वा भूमि वक्त सेटलमेन्ट अप्रार्थी नैनीदेवी के पिता रामपुरी के नाम दर्ज थी। रामपुरी फौत हुआ, जब फौतेदगी म्युटेशन नहीं भरा जाकर रामपुरी के पांच पुत्रों मोहनपुरी, मगनपुरी, लहरपुरी, विशनपुरी व गुमानपुरी का नाम बिना विरासत का नामान्तरकरण भरे सीधे इनका नाम जमाबंदी में दर्ज कर दिया गया जबकि रामपुरी के दो पुत्रियां अप्रार्थी संख्या 1 व रूकमोदेवी थी, जिनका नाम दर्ज नहीं किया, अप्रार्थी का नाम फौतेदगी के रूप में दर्ज नहीं होने पर अप्रार्थी ने श्रीमान् न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिस पर सुनवाई की जाकर अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 21.07.2023 को स्वीकार किया एवं आदेश दिनांक 21.07.2023 की पालना में अप्रार्थी एवं अप्रार्थी की बहन रूकमो के वारिसान् का नाम 1/7–1/7 के रूप में राजस्व रेकर्ड में जरिये म्युटेशन संख्या 2664 के द्वारा दर्ज किया गया, अप्रार्थी एवं उसकी बहन रूकमो के वारिसान् का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज होने के बाद जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामा द्वारा अप्रार्थी ने अपना 1/7 हिस्सा एवं अप्रार्थी की बहन रूकमो के 1/7 में से 1/2 हिस्सा का बेचान प्रार्थी भवानी सिंह को कर कब्जा प्रार्थी भवानी सिंह को सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपना हिस्सा बेचान करने के बाद बेचान के आधार पर जरिये म्युटेशन संख्या 2664 के अप्रार्थी के नाम नामान्तरकरण भरा जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अप्रार्थी का नाम दर्ज कर दिया गया, जिस पर अप्रार्थी भवानी सिंह का खरीद सुदा भूमि पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी भवानी सिंह वादग्रस्त भूमि का सद्भाविक खरीददार हैं, जिसका राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में नाम दर्ज है। जिसको इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने पक्षकार नहीं बनाया है, प्रार्थी को पक्षकार बनाये बिना किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाता है तो प्रार्थी के हित प्रभावित होंगे, इसलिए प्रार्थी रिव्यू प्रार्थना पत्र में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार हैं। प्रार्थी भवानी सिंह को इस

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी पक्षकार बनाया जावें, प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 21.07.2023 के विरूद्ध अपील माननीय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त के समक्ष पेश की गई, जिसमें भी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट पक्षकार बनाया गया हो, इसलिये इस प्रार्थना पत्र में भी पक्षकार बनाया जाना आवयश्यक है और अन्त में अधिवक्त प्रार्थी ने भवानी सिंह को अप्रार्थी पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता प्रार्थी की तरफ से मुख्य कथन यह रहा कि वादग्रस्त भूमि में से अप्रार्थी श्रीमती नैनी देवी से उसका 1/7 हिस्सा व उसकी बहन रूकमों के 1/7 में से 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामा के खरीद किया गया और उसके नाम म्युटेशन दर्ज हो चुका हैं और वह आवश्यक पक्षकार मुकदमा है।

अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस की। अधिवक्ता अप्रार्थी का बहस में कथन रहा कि मौजूदा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पुनरावलोकन के लिये पेश किया गया और पुनरावलोकन के प्रार्थना पत्र में कानूनन वे ही पक्षकार हो सकते हैं जो पूर्व में पक्षकार हो और पुनरावलोकन के प्रार्थना पत्र में जो पूर्व में पक्षकार रहे, उनसे यदि पश्चात्वर्ती भूमि खरीद कर लेने से और खरीददार के नाम म्युटेशन दर्ज हो जाने से वे कतई आवश्यक पक्षकार मुकदमा नहीं होते और उन्हे पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया जा सकता है और अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया कि स्व0 श्रीमती नैनी देवी द्वारा धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व उसके द्वारा पूर्व में राजस्व वाद संख्या 347/2000 वादीनी श्रीमती नैनी देवी बनाम विनोद भाटीया वगैरा दायर किया गया था और जिस समय प्रार्थी भवानी सिंह ने भूमि खरीद की उस समय वह वाद विचाराधीन था, वाद के विचाराधीन रहते महज धारा 136 भूराजस्व अधिनियम के तहत एकतरफा आदेश प्रार्थी को जानबुझकर सुनवाई से वंचित कर दिनांक 21.07.2023 को आदेश पारित करते ही आनन फानन में दिनांक 21.07.2023 को म्युटेशन भरा गया और उसके पश्चात् दिनांक 24.07.2023 व 25.07.2023 को भूमि के बेचान नामे निष्पादित कर रजिस्टर्ड करवाये गए। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी भवानी सिंह की शुरू से ही मिलावट की हुई थी, सारी कार्यवाही मिलावटी की गई है। चूंकि भूमि का बेचान नामा वाद के विचाराधीन रहते हुए निष्पादित कर रजिस्टर्ड करवाया गया है। ऐसी स्थिति में यह बेचान नामा धारा 52 सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों से भी हिट होता हैं और ऐसी स्थिति में खरीददारान् ने भूमि खरीद की वे कतई सद्भाविक क्रेता नही हैं और धारा 52 सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए उन्हे पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया जा सकता है। उनके द्वारा यह भी बहस की गई कि इसी न्यायालय में प्रार्थी ने आदेश 9 नियम 13 सी पी सी का आवेदन पत्र पेश किया है, जिस पर भी न्यायालय द्वारा बहस सुनी जा चुकी है, जो एकतरफा आदेश मंसुखी के लिये पेश किया गया है, उस आवेदन पत्र में प्रार्थी भवानी सिंह ने पक्षकार बनने का कोई आवेदन पत्र पेश नही किया है और उस

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

आवेदन पत्र पर भी पक्षकारों की बहस सुनी जा चुकी है और यदि न्यायालय द्वारा एकतरफा आदेश मंसुख करने हेतू जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया वह भी स्वीकार किया जाता है तो जिस आदेश का रिव्यू चाहा गया है वह आदेश कायम ही नहीं रहता है क्योंकि एकतरफा आदेश के मंसुखी के प्रकरण में पक्षकार बनने हेतू आवेदन पत्र पेश नहीं किया गया इसलिये भी प्रार्थी भवानी सिंह को पक्षकार बनाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। उनके द्वारा यह भी बहस की गई कि प्रार्थी भवानी सिंह ने जिनसे भूमि खरीद की है, उनके द्वारा मौजूदा प्रकरण में समुचित पैरवी की जा रही है और प्रार्थी भवानी सिंह का यह कतई कथन नहीं है कि उनके द्वारा पैरवी में कोई लेट–लतीफी बरती जा रही हो और उस वजह से प्रार्थी भवानी सिंह के अधिकारों पर कोई कुठाराघात होता हो, अर्थात प्रार्थी भवानी सिंह द्वारा जिनसे भूमि खरीद की गई है, उन्होने कोई मिलावट कर ली हो, ऐसा कथन नहीं है और ऐसी स्थिति में प्रार्थी भवानी सिंह को इस स्तर पर पक्षकार बनाने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। मौजूदा मामले में प्रार्थी भवानी सिंह द्वारा जो कथन किये गये उससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी भवानी सिंह ने स्व0 श्रीमती नैनी देवी जिसके पक्ष में धारा 136 भूराजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था और श्रीमती रूकमो देवी का 1/7 में से 1/2 हिस्सा खरीद किया है और प्रार्थी भवानी सिंह के पक्ष में भूमि नामान्तरित भी हो गई है लेकिन मौजूदा मामले में मात्र इस आधार पर धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का जो एकतरफा आदेश पारित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिसके सम्बन्ध में मंसुख करवाने एकतरफा मंसुखी का एक आवेदन पत्र आदेश 9 नियम 13 सी पी सी का एवं उस आदेश को पुनरावलोकन करने हेतू दो अलग अलग प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रार्थी की तरफ से प्रस्तुत हुए हैं। सर्वप्रथम अधिवक्ता अप्रार्थी की यह आपत्ति की पुनरावलोकन के प्रार्थना पत्र में वे ही कानूनन पक्षकार हो सकते हैं, जो मूल प्रार्थना पत्र में हो। प्रार्थी भवानी सिंह के अधिवक्ता ऐसा कोई विधिक दृष्टान्त पेश नही कर पाये कि पुनरावलोकन के प्रार्थना पत्र में जो मूल प्रकरण में पक्षकार नही हो, भूमि खरीद करने के आधार पर उन्हे पक्षकार के रूप में संयोजित किया जा सकता हो और धारा 47 नियम 1 सी पी सी के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि पुनरावलोकन की शक्तियां अत्यन्त सीमित होती हैं, उसमें किसी तीसरे पक्षकार को भले ही वह खरीददार भी रहा हो, कानूनन संयोजित नहीं किया जा सकता है तथा इसके अलावा मौजूदा मामले में प्रार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क भी अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं कि श्रीमती नैनी देवी जिनसे भूमि प्रार्थी भवानी सिंह ने खरीद की और जिस समय भूमि खरीद की तब इसी विवादित भूमि के सम्बन्ध में ही उसके खातेदारी अधिकारों को लेकर ऊपर वर्णित एक वाद धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचाराधीन था और उस वाद के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थी भवानी सिंह ने भूमि खरीद की। प्रार्थी भवानी सिंह का यह कथन नही हैं कि उसे उस वाद की जानकारी नही रही, अन्यथा यदि न्यायालय में वाद विचाराधीन है, जो कि खातेदारी अधिकारों के घोषणा के सम्बन्ध में था, उस वाद के विचाराधीन रहते हुए

उपखण्ड अधिकारी
(ग्रामीण) जोधपुर

धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें एकतरफा आदेश पारित किया गया है और उसके आधार पर श्रीमती नैनी देवी एवं श्रीमती रूकमों के वारिसान् ने उस आदेश के आधार पर अपने नाम म्युटेशन भरवाकर भूमि बेचान की है, जिस प्रकार आदेश होते ही म्युटेशन भरा गया और भूमि बेचान की गई, इस समस्त कार्यवाही से प्रार्थी भवानी सिंह का सद्भाविक क्रेता होना जाहिर नही होता हैं और जो बेचान किया गया हैं वह लिसपेन्डेन्स से प्रभावित रहता हैं। विशेष रूप से प्रार्थी भवानी सिंह ने जिनसे भूमि खरीद की, उनके द्वारा समुचित पैरवी की जा रही है, उनके अधिवक्ता ने मूल प्रार्थना पत्र पर बहस भी कर ली और उसके पश्चात् मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। चूंकि श्रीमती नैनी देवी का खातेदारी अधिकारो का वाद विचाराधीन था और उस वाद के विचाराधीन रहते हुए महज धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के एकतरफा आदेश के आधार पर नामान्तरणकरण जो कि आदेश पारित होने के तुरन्त पश्चात् दिनांक 21.07.2023 को दाखिल हुआ और उसके पश्चात् प्रार्थी भवानी सिंह ने दिनांक 24.07.2023 व 25.07.2023 को भूमि खरीद कर अपना नाम म्युटेशन में दर्ज करवाया। यह समस्त कार्यवाही सद्भाविक होना जाहिर नहीं होती है बल्कि यह तमाम कार्यवाही आपस में मिलावट से की गई, स्पष्टतया साबित है। चूंकि प्रार्थी भवानी सिंह ने जिनसे भूमि खरीद की, वे इस प्रकरण में समुचित पैरवी कर रहे हैं इसलिये प्रार्थी भवानी सिंह आवश्यक पक्षकार नही हैं और न ही प्रार्थी भवानी सिंह को पक्षकार नहीं बनाने से उनके अधिकारों पर कोई कुठाराघात होता है। प्रार्थी का यह तर्क भी अत्यन्त सारपूर्ण प्रतीत होता है कि प्रार्थी भवानी सिंह ने एकतरफा आदेश मंसुखी के प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी पी सी में पक्षकार बनने हेतू आवेदन पत्र पेश नहीं किया हैं और आदेश 9 नियम 13 सी पी सी के आवेदन पत्र पर भी बहस सुनी जा चुकी है और आदेश 9 नियम 13 सी पी सी का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है और कानूनन आदेश 9 नियम 13 सी पी सी का आवेदन पत्र स्वीकार कर लेने के पश्चात् धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश कायम नही रहता है और ऐसी स्थिति में अप्रार्थी श्रीमती नैनी देवी एवं उसके क्रेता के पक्ष में जो म्युटेशन पारित हुए हैं, उनसे उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, वे म्युटेशन स्वतः ही उक्त आदेश 9 नियम 13 सी पी सी पर पारित आदेश के पश्चात् कायम नही रहते हैं इसलिये मात्र इन म्युटेशन के आधार पर प्रार्थी भवानी सिंह को कोई अधिकार सृजित नही होते हैं। इसलिये भी प्रार्थी भवानी सिंह इस प्रकरण में कतई आवश्यक पक्षकार मुकदमा नहीं ठहरता हैं और ऊपर दर्ज कारणों को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थी भवानी सिंह का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता हैं।

चूंकि प्रार्थी का आदेश 9 नियम 13 सी पी सी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 21.07.2023 अपास्त किया जा चुका है और पुनरावलोकन के प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने निम्न अनुतोष मांगा हैं **"अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया**

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

जाकर मूल प्रार्थना पत्र प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित किया जावें।" आदेश दिनांक 21.07.2023 बिना सुनवाई का मौका दिये पारित किया गया इसलिये पुनरावलोकन का प्रार्थना पत्र भी तदनुसार स्वीकार किया जाता हैं। चूंकि आदेश दिनांक 21.07.2023 के प्रभाव से राजस्व रेकर्ड में जो परिवर्तन किया गया है, प्रार्थी तुरन्त प्रभाव से पूर्व स्थिति कायम करवाने का अधिकारी रहेगा। ऐसी स्थिति में धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के आदेश का पुनरावलोकन कर लिये जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब हेतू दिनांक 02/01/2024 को नियत हो।

(पंकज कुमार)RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
पोकरण (जोधपुर)

आदेश आज दिनांक 27.12.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

27.12.23

(पंकज कुमार)RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
पोकरण (जोधपुर)